मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1132
02.12.2024 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय असंतुलन संबंधी नीति

1132. श्री गिरिधारी यादवः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण देश के विभिन्न भागों में मौसम की औसत परिस्थितियों में असंतुलन है जिसमें कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर भयंकर सूखा पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई आंकड़े रखती है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरणीय असंतुलन को संतुलित करने के लिए कोई नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति कब तक बनाए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, मानव-जनित जलवायु परिवर्तन का पहले से ही विश्व भर के हर क्षेत्र में कई मौसम और जलवायु चर्मोष्कर्षों पर प्रभाव पड़ रहा है। मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन, जिसमें बार-बार के और गंभीर चरम परिस्थितियां शामिल हैं, प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता से परे प्रकृति और लोगों दोनों पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव तथा संबंधित नुकसान एवं क्षति का कारण बना है। लू, भारी वर्षा, सूखा और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसे चरम सीमाओं में देखे गए परिवर्तन तथा, विशेष रूप से, मानव प्रभाव के कारण उनके साक्ष्य समय के साथ और मजबूत हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ, औसत जलवायु और चरम सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन अधिक व्यापक और स्पष्ट हो जाते हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बदलते स्थानीय मौसम पैटर्न और प्रदूषण के बीच एक अनिवार्य संबंध होता है। गर्म होते पर्यावरण और क्षेत्रीय मानवजनित प्रभावों के बीच पृथ्वी प्रणाली घटकों के बीच जटिल अंतर्क्रियाओं के कारण स्थानीय स्तर पर भारी वर्षा की घटनाओं, सूखे और बाढ़ की घटनाओं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि आदि की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इन अध्ययनों से भारत भर में अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति और परिमाण में उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति की जानकारी मिली है। बदलते मानसून पैटर्न और चरम स्थिति की घटनाओं ने

देश के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित किया है। बदलते जलवायु में ऐसी घटनाओं के प्रति अधिक प्रवण क्षेत्रों में मध्य भारत, उत्तरी भारतीय क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय (अत्यधिक वर्षा), और उत्तर, उत्तर-पश्चिम एवं पड़ौसी केन्द्र भारत (अर्ध-शुष्क क्षेत्र और मध्यम सूखा और विस्तार) तथा तटीय राज्य (चक्रवात और हीटवेव) आते हैं।

प्रत्येक वर्ष, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ''भारतीय क्षेत्र के लिए वार्षिक जलवायु सारांश" तैयार करता है जिसमें देश के भीतर देखी गई विभिन्न चरम मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में जानकारी होती है। यह रिपोर्ट जलवायु अनुसंधान एवं सेवा (सीआरएस) प्रभाग, आईएमडी, पुणे वेबसाइट (https://www.imdpune.gov.in/Clim_Pred_LRF_New/Reports.html) पर उपलब्ध हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों के साथ-साथ जनता के लिए भी विभिन्न आउटलुक/पूर्वानुमान/चेतावनी जारी करता है जिससे कि विभिन्न प्रकार के जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति अनुकूलन और उसके शमन के लिए मौसम संबंधी चरम स्थितियों के प्रति तैयारी की जा सके।

भारत सरकार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अपने कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) सहित सभी जलवायु संबंधी कार्यों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन, घातक पदार्थ प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों पर क्षेत्रीय नीति वक्तव्य जारी किए हैं। जैव विविधता, तटीय विनियामक क्षेत्र आदि के लिए समय-समय पर उभरती चुनौतियों के जवाब में कार्य किया जाता है। सरकार ने देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सतत विकास संबंधी चिंताओं को ध्यान रखते हुए नियम, विनियम बनाए हैं और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण क्षेत्र की गतिशीलता और वैश्विक तथा घरेलू विनियामक तथा न्यायिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को विवेकपूर्ण ढंग से तैयार किया जाता है, समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। व्यापक परामर्श और परामर्श की प्रक्रिया के बाद समय-समय पर उन्हें समुचित रूप से संशोधित और अद्यतित किया जाता है एवं वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिवत् अधिसूचित किया जाता है।

*****